(Y4)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
224 / 2024	22 / 11 / 2024	14 / 10 / 2025

1. कैलाश चन्द पुत्र नन्दाराम जाति ब्राहमण निवासी खारवालों की ढाणी, रूपा की नांगल जामडोली जयपुर जिला जयपुर।
2. काव्य भंडारी पुत्र महेन्द्र कुमार भंडारी जाति भंडारी निवासी हाउस नं0 सी0 58 बजाज नगर लाल कोठी जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. ब्रजमोहन पुत्र रघुनाथ मीणा
2. रामसिंह पुत्र रघुनाथ मीणा
3. हनुमान पुत्र रघुनाथ मीणा
4. सुरज पुत्र हनुमान मीणा
5. कैलाशी पत्नि स्व0 बाबूलाल मीणा
6. जितेश पुत्र स्व0 बाबूलाल मीणा
7. गिर्राज पुत्र स्व0 बाबूलाल मीणा
8. हरिनारायंण पुत्र पांचूराम मीणा
9. बनवारी पुत्र कन्हैयालाल शर्मा
10. रामस्वरूप पुत्र पांचूराम माली
11. फेली पुत्र रामगोपाल मीणा
12. रामकुवार पुत्र रामपाल मीणा
    समस्त निवासी ग्राम चावण्डिया तहसील आंधी जिला जयंपुर राजस्थान।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीदार, आंधी, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

<u>उपस्थित अभिभाषक</u>

श्री लल्लू प्रसाद गुर्जर :– वकील वादीगण।
श्री रमेश कुमार जाजोरिया :– वकील प्रतिवादी सं0 2, 10,
श्री रामजीलाल मीना :– वकील प्रतिवादी सं0 5, 6, 7, 8

दावा बाबत बेदखली, स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 183, 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादीगण की ओर से एड0 श्री लल्लू प्रसाद गुर्जर ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 145 रकबा 0.7700है0, खसरा नम्बर 146 रकबा 0.1800है0, खसरा नम्बर 147 रकबा 0.1600है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.1100है0 ग्राम चावण्डिया, पटवार हल्का चावण्डिया तहसील आंधी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। जिस पर वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण के कब्जे काश्त व हक अधिकार की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण को

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जमवारामगढ़

कोई संबंध सरोकार नही है। लेकिन प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त भूमि के आंशिक भाग अर्थात 700–800 वर्गगज भूमि पर कब्जा कर रखे है और वादीगण द्वारा कब्जा छोडने की बात कहने पर वादीगण के साथ गाली गलोच करते है तथा लडाई झगडा करते है तथा मारपीट करने पर आमादा रहते है तथा धमकीया देते है कि उक्त भूमि पर हमारा कब्जा है और हम कब्जा खाली नही करेंगे। प्रतिवादीगण का वादीगण की भूमि से किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नही है लेकिन प्रतिवादीगण बाहुबल में अधिक व प्रभावशाली है जिस कारण जबरन वादीगण की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है तथा कब्जा हटाने के लिये कहने पर गाली गलोच व मारपीट करने का प्रयास करते है तथा वादीगण व वादीगण के परिवार को जान से मारने पीटने की धककीया देते है। अतः उक्त वादांकित भूमि पर कानून के विपरित व विधि विधान के विपरित किये गये कब्जे से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण की भूमि पर तारफैन्सीग करवाकर वादीगण को उक्त भूमि का कब्जा दिलवाया जाने के आदेश प्रदान करें तथा स्थाई निषेधाज्ञा डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि उक्त वादग्रस्त भूमि में फसल नही बोये, एवं वादीगण के हिस्से व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखल उत्पन्न नही करे, वादीगण की भूम में किसी प्रकार को कच्चा पक्का निर्माण कार्य नही करे, किसी प्रकार से नींव नही खोदे एवं वादीगण को भूमि से बेदखल नही करें, एवं किसी भी प्रकार से वादीगण को काश्त करने में बाधा उत्पन्न नही करें। उक्त कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट से करवायें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 2, 10 की ओर एड0 श्री रमेश कुमार जाजोरिया व प्रतिवादी सं0 5, 6, 7, 8 की ओर से एड0 श्री रामजीलाल मीना ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है। शेष प्रतिवादीगण सं0 1, 3, 4, 9, 11, 12 को तलबी जरिये रजि0 ए0डी0 से करवाये जाने की समग्र सूचना होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये। इनको बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही आये। अतः दिनांक 23.06.2025 को प्रतिवादी सं0 1, 3, 4, 9, 11, 12 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रतिवादी सं0 10 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम तथा वकील प्रतिवादी सं0 5, 6, 7, 8 ने भी जवाब दावा पेश किया। जो शामिल पत्रावली है।

वकील प्रतिवादी सं0 10 ने अपने जवाब दावे व काउन्टर क्लेम में निवेदन किया कि खसरा नम्बर 145 रकबा 0.77है0, खसरा नम्बर 146 रकबा 0.1800है0, खसरा नम्बर 147 रकबा 0.1600है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.1100है0 ग्राम चावण्डिया में स्थित है। वादांकित खसरा नम्बरों की भूमि शुरू से ही संवत 2008 से मूल खातेदारों ओमप्रकाश पुत्र कन्हैयालाल, भौरी देवी पत्नी कन्हैयालाल, मदन लाल पुत्र कन्हैयालाल, रमेश कुमार पुत्र मूलचन्द, राजेन्द्र पुत्र कन्हैयालाल, रामप्रकाश पुत्र मूलचन्द के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज एवं तकासमा उपरान्त से ही कब्जा काश्त रही है। खसरा नम्बर 146 की भूमि राजस्व रिकार्ड में 0.1800है0 गै0मु0सडक दर्ज है तथा शुरू से ही आज दिनांक तक मौके पर 30 फिट चौडी डामर की सडक बनी हुई जो आज भी चालू है। यह कि प्रतिवादी सं0 10 की खातेदारी एवं कब्जा काश्त शुदा कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 1382/148 रकबा 0.1400है0 खसरा नम्बर 1386/149 रकबा 0.2000है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3400है0 जिसके तकासमे से पूर्व खसरा नम्बर 148, 149 है। जिसके साबिक खसरा नम्बर 79, 80 है। जो कि ग्राम चावण्डिया तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित है। जिस पर प्रतिवादी सं0 10 सेटलमेंट एकीकरण के समय से ही संवत 2008 से आज तक काबिज काश्त चले आ रहा है तथा प्रतिवादी सं0 10 ने अपने राजस्व रिकार्ड मे दर्ज खातेदारी भूमि में तकासमा करवाकर मौके पर मकान, दुकान बनाकर अपनी खातेदारी कब्जा काश्तशुदा भूमि के चारों ओर सीमेन्ट की पक्की दीवार लगा कर काबिज है। जिसका वादीगणों का कोई लेना देना नही है और ना ही कोई संबंध सरोकार है। उक्त वादांकित भूमि से

उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट जमवारामगढ़

नम्बर 145, 146, 147 खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे मूल खातेदारों के नाम चली आ रही है तथा खसरा नम्बर 146 की भूमि राजस्व रिकार्ड मे गै0मु0सडक दर्ज है तथा मौके पर 30 फीट चौडी डामर की सडक बनी हुई है जो वर्तमान मे चालू है तथा वादीगणों ने अभी हाल अक्टूम्बर 2024 मे मूल खातेदारों से वादांकित भूमि आवासीय कॉलोनी विकसित करने के लिए खरीदी है जिसकी आड मे खसरा नम्बर 147 की भूमि जो सीमाजोड की भूमि है का बिना सीमाज्ञान करवाये ही बिना लोकस के ही प्रतिवादीगण को हेरान परेशान करने की गरज से मिथ्या कथन अंकित कर यह दावा पेश किया है जो सरासर असत्य व आधारहीन होने की वजह से खारिज किये जाने योग्य है।

काउन्टर दावा – प्रतिवादी सं0 10 की कब्जाशुदा खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 1382/148, 1386/149 कुल रकबा 0.3400है0 भूमि जिसके साबिक 79, 80 का हिस्सा पर प्रतिवादी सं0 10 संवत 2008 से काबिज काश्त चला आ रहा है और अपनी कब्जाशुदा खातेदारों भूमि पर मकान, दूकान बनाकर चारों ओर सीमेन्ट का डण्डा लगाकर कर निवास कर रहा है। जिसमें वादीगणों का कोई लेना देना व संबंध सरोकार नही है। खसरा नम्बर 146 की भूमि का बिना मौके पर विधिवत सीमाज्ञान करवाये ही अपनी मनमर्जी से प्रतिवादी सं0 10 की भूमि की तरफ कब्जा करके रोड डालकर प्रतिवादी सं0 10 की खातेदारी भूमि में बने निर्माण मकान, दुकान डण्डा को तोडकर कब्जा करना चाहते है जिससे वादीगण को किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार नही है। इसके लिये वादीगणों को न्यायहित मे पाबन्द किया जाना आवश्यक है। वादग्रस्त वादांकित भूमि की आड मे सीमाजोड की भूमि की आड में बिना मौके पर विधिवत सीमाज्ञान करवाये ही अवैध आवासीय कॉलोनी विकसित करने का वादीगणों को कोई अधिकार नही है। अतः प्रतिदावा स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1382/148, 1386/148 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3400है0 स्थित ग्राम चावण्डिया में स्थित भूमि के उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करे तथा प्रतिवादीगणो की खातेदारी कब्जाशुदा भूमि में बने निर्माण मकान, दुकान व डण्डे को तोडकर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नही करें, रोड नही डाले, अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास नही करे। राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

वकील प्रतिवादी सं0 5, 6, 7, 8 ने अपने जवाब में निवेदन किया कि वादांकित भूमि पर मौके पर वादीगणों का किसी प्रकार का कब्जा काश्त नही है। जबरन दादागिरी के बल पर पक्के निर्माणों को व दिवारों को तोडकर कॉलोनी काटने के फिराक मे लगे हुए है तथा एक गिरोह बनाकर भूमॉफियों के माध्यक से प्रतिवादीगणो की काफी वर्षो से कब्जा काश्त भूमि को हडपना चाहते है। प्रतिवादीगणों ने आज तक किसी भी प्रकार की गाली गलौच नही दी है और न ही किसी प्रकार का लडाई झगडा किया गया बल्कि वादीगण ही आये दिन ही लडाई झगडा व जान से मारने की धमकीया देते है और न ही वादीगणों की भूमि पर कब्जा किया गया। बल्कि वादीगण व वादीगण का परिवार द्वारा एक गिरोह बनाकर प्रतिवादीगणों की जमीन को हडपने के उद्वेश्य से झुठा दावा पेश किया गया है। जिससे वेबजह कोर्ट का समय खराब करने व दावों की संख्या बढाने के उद्वेश्य से किया गया दावें को खारिज फरमाया जावें।

वकील वादीगण ने अपने जवाब उल जवाब मय जवाब प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं0 10 द्वारा वादी की भूमि पर दुकान व बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कर लिया है जबकि पूर्व मे उक्त निर्माण नही था लेकिन प्रतिवादी सं0 10 ने रोड बनने के बाद वादी की उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया है तथा वादी कभी भी प्रतिवादी सं0 10 के निर्माण को तोडने पर आमादा नही हुआ बल्कि जो पटवारी रिपोर्ट आयी है उसमे भी 200 वर्गमीटर में प्रतिवादी का कब्जा बताया गया है और दुकान व बाउन्ड्रीवाल का निर्माण वादी की भूमि में बताया गया है जबकि शेष प्रतिवादीगणों द्वारा मौके पर से अपना अपना कब्जा हटा लिया है तथा प्रतिवादी सं0 10 द्वारा कहा गया है कि मौके पर आवासी कॉलोनी विकसित नही कर रहा है और ना ही भविष्य मे करेगे तथा प्रतिवादी सं0 10 भू

माफिया व्यक्ति है जो लोगों की भूमियों पर कब्जा करे उपरोक्त प्रकार से पुख्ता निर्माण करके भूमि हडपने का कार्य करता है जिस कारण उक्त जवाब दावा खारिज किये जाने योग्य है। उक्त भूमि वादीगण की है जिसका किसी भी प्रकार से उपयोग उपभोग करने का वादीगण को पूर्ण अधिकार है तथा प्रतिवादी सं0 10 को कोई विधिक अधिकार नही है कि वह वादी की भूमि में प्रवेश करते हुये दुकान का निर्माण करे व पुख्ता बाउन्ड्रीवाल का निर्माण करे और किसी भी प्रकार से गोबर, डेहरे वगै0 नही डाले जिस कारण भी उक्त जवाब दावा खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी सं0 10 ने अनुतोष चाहा है कि ग्राम चावण्डिया स्थित भूमि खसरा नम्बर 1382/148, 1386/148 के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे, दुकान व बाउन्ड्रीवाल को तोडकर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नही करे, लेकिन प्रतिवादी सं0 10 स्वयं वादी की भूमि के 200 वर्गमीटर भूमि पर कब्जा कर रखा है जो साफ तौर से पटवारी की रिपोर्ट में दर्शित किया गया है। जबकि प्रतिवादी सं0 10 ही वादीगण की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है और निर्माण करने पर आमादा है। अतः प्रतिवादी सं0 10 का जवाब दावा मय काउन्टर दावा हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

पैरोकार सरकार (तहसीलदार आंधी) /प्रतिवादी सं0 13 ने अपनी जवाब/रिपोर्ट में जरिये पत्रांक/आरटी/2025/705 दिनांक 20.02.25 द्वारा अवगत कराया कि ग्राम चावण्डिया के खसरा नम्बर 145 रकबा 0.77है0, खसरा नबर 146 रकबा 0.18है0 किस्म गै0मु0सडक व खसरा नम्बर 147 रकबा 0.18है0 किस्म बारानी 2 कैलाश चन्द पुत्र नन्दाराम हि0 25/37 जाति ब्राहमण सा0 खारवालों की ढाणी रूपा की नांगल जामडोली जिला जयपुर खातेदार काव्य भंडारी पुत्र महेन्द्र कुमार भण्डारी हि0 12/34 जाति भण्डारी सा0 हाउस नम्ब सी–58 बजाज नगर लाल कोठी जयपुर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वादीगण के खसरा नम्बर 147 पर पडौसी खसरा नम्बर 1382/148 रकबा 0.1400है0 किस्म बारानी 3 के खातेदार द्वारा चारदीवारी (बाउण्ड्री) करके लगभग 0.02है0 (200मीटर) भूमि पर कब्जा कर रखा है। वादीगण के खसरा नम्बर 145 रकबा 0.77है0 भूमि पर लगभग 0.02है0 भूमि पर 3–4 व्यक्तियों द्वारा भैस का गोबर (रेवडा), बबूल की सूखी लकडी डालकर कच्चा कब्जा किया हुआ है। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

अतः वकील उभय पक्षों की बहस का मनन करनें व पत्रावली में उपलब्ध जवाब दावे, प्रतिदावा, जवाब उल जवाब, जवाब प्रतिदावा, तहसीलदार रिपोर्ट एवं दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रतिवादी सं0 10 द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत बेदखल, स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि वादीगणों की ग्राम चाण्डिया, पटवार हल्का चावण्डिया, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 145 रकबा 0.7700है0, खसरा नम्बर 146 रकबा 0.1800है0, खसरा नम्बर 147 रकबा 0.1600है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.1100है0 पर प्रतिवादीगणों को बेदखल किया जावें तथा कब्जा वादीगणों का समलाया जावें। साथ ही प्रतिवादीगणों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजियात में किसी प्रकार का अवैध कब्जा नही करे, किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नही करें, वादीगण की भूमि में उगे हरे पेडों को नही काटे एवं उपयोग उपभोग करने में बाधा उत्पन्न नही करे। उक्त कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट से करावें। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 14/10/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

उप खण्ड अधिकारी एवं
उप खण्ड ...
जमवारामगढ़

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ऑ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर राज0

बइजलास श्री ललित मीना, आर0ए0एस0

उनवान

कैलाश चन्द वगै0 बनाम ब्रजमोहन वगैरह

(वाद अन्तर्गत धारा 183, 188, वाद बाबत बेदखल, स्थाई निषेधाज्ञा राज0 काश्तकारी अधिनियम)

मुकदमा नम्बर 224 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर.ए.एस. व हाजिर श्री लल्लू प्रसाद गुर्जर अधिवक्ता वादीगण एवं श्री रमेश कुमार जाजोरिया अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 2, 10 एवं श्री रामजीलाल मीना अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 5, 6, 7, 8 निजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रतिवादी सं0 10 द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत बेदखल, स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि वादीगणों की ग्राम चाण्डिया, पटवार हल्का चावण्डिया, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 145 रकबा 0.7700है0, खसरा नम्बर 146 रकबा 0.1800है0, खसरा नम्बर 147 रकबा 0.1600है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.1100है0 पर प्रतिवादीगणों को बेदखल किया जावें तथा कब्जा वादीगणों का समलाया जावें। साथ ही प्रतिवादीगणों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजियात में किसी प्रकार का अवैध कब्जा नही करे, किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नही करें, वादीगण की भूमि में उगे हरे पेडों को नही काटे एवं उपयोग उपभोग करने में बाधा उत्पन्न नही करे। उक्त कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट से करावें।

डिक्री आज दिनांक 14 / 10 / 2025 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट जमवारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा	रूपये	पैसे	स्टाम्प अर्जी दावा	रूपये	पैसे
मुदई			मुदई		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान			खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत			मुत		
मिलान			मिलान		

उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट जमवारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जयपुर